



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-10022024-251990
CG-DL-E-10022024-251990

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 90]
No. 90]

नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 9, 2024/माघ 20, 1945
NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 9, 2024/MAGHA 20, 1945

भारतीय मानक ब्यूरो
(उपभोक्ता मामले विभाग)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 फरवरी, 2024

संदर्भ: HQ-PUB014/2/2020-PUB-BIS (803).—भारतीय मानक ब्यूरो नियम, 2018 के नियम 15 के उपनियम (1) के अनुसरण में भारतीय मानक ब्यूरो एतद्वारा अधिसूचित करता है इसमें संलग्न अनुसूची में दिये गये मानकों में संशोधन किये गये हैं।

अनुसूची

क्रम सं.	स्थापित भारतीय मानकों की संख्या, वर्ष तथा शीर्षक	संशोधनों की संख्या एवं तिथि	संशोधनों की प्रतिस्थापन तिथि	तिथि जब तक मानक तीसरे स्तंभ में इंगित संशोधन के बिना भी लागू रहेगा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	आई एस 16192 (भाग 1) : 2014 दो एवं तीन पहिये वाले स्वचल वाहनों के व्हील रिम भाग 1 हलके मिश्र धातु व्हील रिम — परीक्षणों एवं अपेक्षाओं की पद्धति	संशोधन संख्या 2 जनवरी 2024	30 जनवरी 2024	29 अप्रैल 2024

पी. राजेश, वैज्ञानिक जी एवं उप महानिदेशक (आई टी एस, पी आर टी एवं टी एन एम)

[विज्ञापन-III/4/असा./747/2023-24]

BUREAU OF INDIAN STANDARDS
(Department of Consumer Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd February, 2024

Ref: HQ-PUB014/2/2020-PUB-BIS (803).—In pursuance of Sub-rule (1) of Rule (15) of the Bureau of Indian Standards Rules, 2018, the Bureau of Indian Standards hereby notifies that Amendments to Indian standards, particulars of which are given in schedule hereto annexed have been established.

SCHEDULE

Sl. No.	No., Year & Title of the Indian Standard	No. and Month/Year of the Amendment	Date of Establishment of the Amendment	Date till which the standard without the amendment as mentioned in column 3 shall remain in force
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	IS 16192 (Part 1) : 2014 Automotive Vehicles — Wheel Rims for Two and Three Wheeled Vehicles Part 1 Light Alloy Wheel Rims — Method of Tests and Requirements	Amendment No. 2 January 2024	30 January 2024	29 April 2024

P. RAJESH, Scientist G & DDG (ITS, PRT & TNM)

[ADVT.-III/4/Exty./747/2023-24]